| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर<br>राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2023 (2023/97)<br>अनवान केवलदास वगैरा बनाम ठाकरराम वगैरा<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18-2-2026 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम लोलासनी तहसील लूणी में खसरा संख्या 44/4 कुल रकबा4.8724 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 44/4 रकबा 4.8724 हैक्टेयर कृषि भूमि की राजस्व नक्शें अनुसार स्थायी मुटाम करवाना चाहते है ताकि अपने खतों की सीमाओं की राजस्व नक्शें अनुसार स्थायी मुटाम एवं पटिट्या रोपकर आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु तारबन्दी कर सकें तथा अपने खेत की माठों को लेकर कोई विवाद नहीं हो राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगण के खसरें की सीमाओं का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थीगण ने तहसीलदार लूणी के आदेश से टीम गठित की जाकर दिनांक 25.05.2023 को राजस्व नक्शें अनुसार सीमाज्ञान करवा दिया गया। स्थायी मुटाम के अभाव में प्रार्थी के खसरा संख्या 44/4 की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण से आये दिन विवाद होते रहते है इसलिये प्रार्थीगण वास्ते स्थायी सीमाचिन्हों की पत्थरगढी करवाकर अपने खसरा संख्या 44/3 की सीमाओं पर पटिट्यां रोपकर तारबन्दी करवाना चाहते है। एवं ग्राम लोलासनी तहसील लूणी जोधपुर के खसरा संख्या 44/4 रकबा 4.8724 हैक्टेयर कृषि भूमि का राजस्व नक्शें अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 25.05.2023 अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।<br><br>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 5 व 6/1 के अधिवक्ता उपस्थित।<br><br>पत्रावली पर अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः इन परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम लोलासनी तहसील लूणी जोधपुर के खसरा संख्या 44/4 रकबा 4.8724 हैक्टेयर कृषि भूमि की पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमांज्ञान करवाकर बाद राजस्व नक्शें अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 25.05.2023 अनुसार पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार लूणी को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।<br><br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी<br>लूणी | |